न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 151/I/2014 –विरूद्ध आदेश दिनांक 07.01.2014 – पारित व्दारा तहसीलदार (आबकारी), जिला जबलपुर – प्रकरण कमांक–आब./ 2014/24

राकेश जायसवाल पुत्र स्व. शिप्रसाद जायसवाल
पार्टनर मेसर्स एस.जी.डिस्टलरीज एफ.एल.9
पिपरिया खुर्द जिला जबलपुर निवासी 9–किंग्सव
मैन रोड सदर जबलपुर मध्य प्रदेश ------आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर जबलपुर
2– तहसीलदार (आबकारी), ज़िला जबलपुर ------अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण की ओर से पैनल लायर श्री डी.के.शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 11 – 2015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार (आबकारी), जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक–आब./ 2014/24 में पारित आदेश दिनांक 7–1–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मेसर्स एस.जी डिस्टलरीज एफ.एल.9 में निम्नानुसार भागीदार हैं :-

1. संतोष जायसवाल पुत्र शिवप्रसाद जायसवाल
2. सूरज जायसवाल पुत्र शिवप्रसाद जायसवाल
3. राकेश जायसवाल पुत्र शिवप्रसाद जायसवाल
4. श्रीमती अर्चना जायसवाल पत्नि सूरज जायसवाल

मेसर्स एस.जी डिस्टलरीज एफ.एल.9 पिपरिया खुर्द जिला जबलपुर (आगे जिसे कंपनी नाम से संबोधित किया गया है) को मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा अधि. 1986 के नियम 16 एंव 17 के अधीन बाटलिंग कार्य हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी, जिसके क्रम में कंपनी व्दारा बाटलिंग का कार्य किया जा रहा था। दिनांक 9-3-11 को कंपनी व्दारा किये जा रहे कार्यो का भौतिक सत्यापन तीन सहायक जिला आबकारी अधिकारियों की गठित कमेटी ने किया। सत्यापन के दौरान कमेटी ने निम्नानुसार विदेशी मदिरा कम होना सत्यापित किया।

क.	विवरण	पंजी अनुसार संग्रह प्रू0ली0में	सत्यापन पर संग्रहप्रू0ली0में	कमी प्रू0ली0में
1-	वेट क-2 में रखी गई ई.एन.ए.मदिरा	14072.0	6050.1	8021.9
2-	बोतल में भरी विदेशी मदिरा	13440.87	10961.73	2479.14

कमेटी के प्रतिवेदन अनुसार ई.एन.ए. 8021.9 प्रू0ली0 तथा भरी हुई बोतलों में 2479.14 प्रू0ली0 विदेशी मदिरा पंजी में दर्शाए

संग्रह से कम मिली। परिणामतः जांच कमेटी के प्रतिवेदन पर उपायुक्त, आबकारी संभागीय उड़नदस्ता जबलपुर ने आदेश क्रमांक आब./आसवानी/2011/1294 दिनांक 16.12.2011 पारित किया तथा कंपनी पर रूपये 2,14,53,625/- की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी आदेश के क्रम में तहसीलदार (आबकारी), जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-आब./ 2014/24 में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 से आवेदक के अंश की राशि 53,63,417/- कुल 7 दिवस में जमा कराने का मांग पत्र जारी किया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि प्रथमतः कंपनी मात्र बाटलिंग का कार्य करती है और बाटलिंग कार्य के लिये ही उसे लायसेंस प्रदान किया गया है । मदिरा के स्टाक की कम-बढ़ोत्री से आवेदक का कोई लेना - देना नहीं है क्योंकि स्टाक सत्यापन के समय आवेदक को व्यक्तिगत सूचना देकर सत्यापन नहीं किया। उन्होने यह भी बताया कि उपायुक्त आबकारी व्दारा आदेश दिनांक 16.12.11 पारित करने के पूर्व न तो आवेदक को सुनवाई हेतु व्यक्तिगत सूचना जारी की एंव न ही बचाव का अवसर प्रदान किया, अपितु एकपक्षीय आदेश पारित करने की त्रृटि की गई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि उपायुक्त आबकारी व्दारा आदेश

दिनांक 16.12.11 पारित करने के पूर्व आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र जारी किया है भौतिक सत्यापन में विदेशी मदिरा स्टाक से कम पाये जाने पर आदेश दिनांक 16.12.11 से की गई पेनल्टी सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जांच कमेटी के प्रतिवेदन अनुसार ई.एन.ए. 8021.9 प्रू0ली0 तथा भरी हुई बोलतों में 2479.14 प्रू0ली0 विदेशी मदिरा पंजी में दर्शाए संग्रह से कम मिलने पर उपायुक्त, आबकारी संभागीय उड़नदस्ता जबलपुर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है जिस पर उन्होंने आदेश कमांक आब./आसवानी/2011/1294 दि. 16.12.11 पारित किया है तथा कंपनी पर रूपये 2,14,53,625/- की शास्ति अधिरोपित की है। इसी आदेश पर से तहसीलदार (आबकारी), जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक-आब./ 2014/24 में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 से आवेदक के अंश की राशि 53,63,417/- कुल 7 दिवस में जमा कराने का मांग पत्र जारी किया है। उप आयुक्त आबकारी उड़नदस्ता के आदेश दिनांक 16.12.11 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने कंपनी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 16 एंव 17 के अधीन कम पाई गई 8021.9 प्रू0ली0 ई.एन.ई. तथा 2479.14 प्रू0ली0 विदेशी मदिरा पर अधिकतम शुल्क रू. 681/ की दर से न्यूनतम तीन गुना गणना करके 2,14,53,625/- दो करोड़ चौदह लाख, तिरेपन हजार छै सौ पच्चीस रू. की शास्ति अधिरोपित

की है। विचार योग्य बिंदु है कि मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 में सॅशोधन म0प्र0 के राजपत्र दिनांक 29.3.2011 से हुआ है तद्नुसार नियम 19(ii) म0प्र0 के राजपत्र दिनांक 29.3. 2011 अनुसार सॅशोधित है जिसके अनुसार पैनल्टी तीन गुणा अथवा चार गुणा करके रूपये 681/- प्रति प्रूफ लीटर न लगाते हुये विदेशी मदिरा पर प्रति प्रूफ लीटर रू. 160/- या 162/- लगना चाहिये। इस प्रकार विदेशी मदिरा 2479.14 प्रूफ लीटर पर 162/-रू. के मान से आवेदक के पेटे रू. 4,01,620/- देय होने की गणना होती है जिस पर देय पैनल्टी 1,00,405/- रू. होगी, जो आवेदक से वसूली योग्य है। जब उपायुक्त, आबकारी संभागीय उड़नदस्ता जबलपुर व्दारा जारी आदेश क्रमांक आब. /आसवानी/2011/1294 दिनांक 16.12.2011 मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 में म0प्र0 के राजपत्र दिनांक 29.3.2011 में प्रकाशित सॅशोधन अनुसार सही नहीं है तब आधार पर तहसीलदार आबकारी जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-आब./ 2014/24 में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 से की जा रही बसूली की कार्यवाही भी त्रृटिपूर्ण होने से उनके व्दारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 151/एक/14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.1.14 के पालन में आवेदक ने शासन मद में वसूली योग्य राशि का 25 प्रतिशत अर्थात रू. 13,41,000/- जमा कराये हैं जो वापिसी योग्य है । जहां तक जमा कराई गई राशि रूपये

13,41,000/- की वापिसी का प्रश्न है ? आवेदक तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार आबकारी जबलपुर व्दारा जारी आदेश क्रमांक- आब./ 2014/24 दिनांक 7-1-2014 त्रृटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त पद पांच में की गई विवेचना अनुसार सॅशोधन के साथ निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर